न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

103/2025

श्री दिलकुश नाथ निवासी मोडियाला पोस्ट खरेडा तहसील व जिला टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 06.01.2026

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 06.10.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

1. राजस्व गांव मोडीयाला, पंचायत मोरभाटियान, तहसील टोंक, जिला टोंक में कुल कितनी भूमि चरागाह (गौचर) भूमि के रूप में दर्ज है?
2. उक्त चरागाह भूमि का खसरा नंबरवार विवरण उपलब्ध करवाया जाए।
3. उक्त चरागाह भूमि में से कितनी भूमि पर वर्तमान में कच्चे या पक्के निर्माण / अतिक्रमण किया गया है?
4. अतिक्रमण का प्रकार, क्षेत्रफल (वीघा/हेक्टेयर में) एवं अतिक्रमणकर्ताओं के नाम (यदि उपलब्ध हों) की जानकारी प्रदान की जाए।
5. अब तक प्रशासन या पंचायत द्वारा इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, उसका विवरण एवं संबंधित रिपोर्ट/पत्राचार की प्रतिलिपि प्रदान की जाए।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 2169 दिनांक 12.11.2025 व 2310 दिनांक 27.11.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 1164 दिनांक 08.12.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक से होने से उनके पत्र कमांक 1162 दिनांक 03.12.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 1163 दिनांक 03.12.2025 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को पत्र कमांक 2394 दिनांक 11.12.2025 व 2474 दिनांक 29.12.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

775

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)